हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज ①	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
और से दस्तावेजात पेश किये जो शा. मिसल किये गये। बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक - 30/10/25 को पेश हो। तब तक T.I. अवधि बढ़ाई जाती है।	

30/10/25 पत्रावली पेश। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने कथन किया की ख. न. 954/276 रकबा 2 बीघा प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। हमारी भूमि के पड़ौसी खातेदार अप्रार्थी स. 1 व अन्य परिवारजन है। बिना भूमि संपरिवर्तन के अप्रार्थीगण ने ईट भट्टा बना रखा है। इन्होंने दिनांक: 21/07/2018 को मेड़ तोड़ने की कोशिश कर कब्जा करने का प्रयास किया। इनको उक्त कृत्य नही करने से पाबन्द किया जावें।

खण्डन में वकील अप्रार्थी ने कथन किया की ये बेदखली का वाद लाये अगर भूमि पर कब्जा कर लिया हो तो, हमने तरमीम गिरस्ती का प्रा.पत्र पेश किया हुआ है, जो विचाराधीन है। ये हमारे कब्जे की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे है। N.T.D.R. दबलाना की रिपोर्ट में तरमीम गलत होना अंकित किया है। बिना कब्जे के दावा पोषणीय नही है। दावा पेश करते समय भी वादीगण का कब्जा नही था। मामला प्रथम दृष्टया अप्रार्थी के पक्ष मे है। भूमि गैर कृषि कार्य मे ली जारी है। सुविधा सतुंलन भी अप्रार्थी के हक मे है व अप्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति की सम्भावना है। इनको कब्जे मे दखलंदाजी करने पर S.H.O. दबलाना से वाद दायरी से पूर्व ही पाबन्द कराया है, फिर भी प्रकरण दर्ज होने पर T.I. जारी हुई है, जिसे खारीज किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

खण्डन में वकील प्रार्थीगण ने कथन किया की कब्जे का निर्धारण साक्ष्यउपरान्त होता है। भूमि

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	की तरमीम कब हुई है, कब्जा कहा है, ये साक्ष्य के विषय है। हमें मौका रिपोर्ट पर आपत्ति है। रिपोर्ट पटवारी वैध नहीं है, इसको प्रकरण में आधार नहीं बनाया जा सकता है। ताफैसला वाद T.I. कन्फर्म की जावे। हमने बहस वकील पक्षकारान पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि ख०स० 944/276 रकबा 2 बीघा ग्राम राजपुरा प०म० R.C का खेड़ा प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। जिस पर जबरन कब्जा करने व भूमि पर दखलंदाजी नहीं करने से अप्रार्थीगण को रोकने का हक व अधिकार प्रार्थीगण को प्राप्त है। विवादित भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में अंकित होने से प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है, खातेदारी भूमि पर प्रार्थीगण का शांतिपूर्वक कब्जा, काश्त होने व मामला प्रथम दृष्ट्या प्रार्थीगण के पक्ष में होने से सुविधा संतुलन का सिद्धांत भी प्रार्थीगण के हक में है। प्रार्थीगण की भूमि पर जबरन कब्जा करने, कृषि स्वरूप नष्ट करने पर अप्रार्थीगण के आमादा होने से प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति की संभावना बनी हुई है। बाद उपरोक्त विवेचन न्यायालय वादग्रस्त भूमि को दौराने वाद संरक्षित करना उचित समझता है, ताकि अनावश्यक वाद बाहुलता ना हो। अतः प्रकरण में दिनांक - 08/08/2018 को जारी किया गया स्थगन आदेश ताफैसला वाद "कन्फर्म" (Confirm) किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। Sd/- उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली